राजस्थान संगीत नाटक अकादमी,जोधपुर

ओम शिवपुरी स्मृति नाट्य समारोह

प्रदेश के प्रमुख नाट्यकर्मी श्रद्धेय ओम शिवपुरी का भारतीय रंगमंच को अत्यन्त ही महत्वपर्ण योगदान रहा है। स्व0 शिवपुरी की रंगचर्या प्रदेश के लिए सदा ही प्रेरणास्पद रही है और उस प्रेरणा का एक सामुहिक प्रदर्शन ही इस समारोह का मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश की इस अनूठी प्रतिभा का सदैव स्मरण के लिए अकादमी ने सन् 1992 में नाट्य समारोह प्रारम्भ किया जिसमें चुनिन्दा नाटकों का मंचन होता है। यह समारोह प्रतिवर्ष स्व0 शिवपुरी की पुण्यतिथि 16 अक्टूबर से अकादमी मुख्यालय जोधपुर में आयोजित किया जाता है।

नियम

1.	ये नियम ओम शिवपुरी स्मृति नाट्य समारोह के नाम से जाने जायेंगें।
2.	इस योजनान्तर्गत प्रदेश के नाट्य निर्देशक हिस्सा ले सकेंगे तथा हिस्सा लेने वाले नाट्य निर्देशकों का प्रस्तावित नाटक के बारे में विस्तृत जानकारी यथाः नाटक का नाम,लेखक, निर्देशक,कथासार,पात्र परिचय,नाटक की अवधि,कलाकारों की कुल संख्या,नाट्य स्क्रिप्ट, इत्यादि के साथ अकादमी को आवेदन करना होगा।
3.	सामान्यतया प्रस्तावित नाटक के समारोह तिथि के पूर्व न्यूनतम दो प्रदर्शन हुए होने चाहिए।
4.	सामान्यतया इस योजना में हिन्दी व राजस्थानी भाषा के पूर्णाकी नाटकों को ही सम्मिलित किया जायेगा,जिसकी न्यूनतम समयावधि एक घन्टा तीस मिनट होनी चाहिए।
5.	नाटक के लेखक, निर्देशक की स्वीकृति व उनके मानदेय की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारी दल की ही रहेगी।
6.	समारोह हेतु नाटको का चयन नाटक चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त किसी अन्य निर्देशक का नाटक भी चयन कर सकेंगी।
7.	समारोह में आमंत्रित बाहर के नाट्य दलों को एक मुश्त 75,000/—रू0 मानदेय देय होगा जिसमें दल का आने—जाने का किराया,भोजन व्यय व अन्य सभी व्यय सम्मिलित होंगे। आवास की व्यवस्था अकादमी द्वारा पृथक से की जायेगी। स्थानीय नाट्य दलों को एक मुश्त 60,000/— रूपये मानदेय देय होगा जिसमें सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित होंगे।
8.	अकादमी द्वारा नाट्य मंचन हेतु हॉल, विधुत उपकरण व माईक की सामान्य व्यवस्था उपलब्ध करवाई जायेगी।
9.	मंच सज्जा, रूप सज्जा व अन्य साधन/सामग्री व्यवस्था प्रदर्शनकारी दल को स्वयं करनी होगी।
10.	समारोह के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले रंग संवादों के दौरान नाटक के निर्देशक तथा मुख्य पात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
11.	प्रतिभागी दलों को अपने गंतव्य स्थान से प्रस्थान की सूचना एवं समारोह स्थल पर पहुंच की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
12.	योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्णय,मंचन तिथि का निर्धारण, योजना में किसी प्रकार का संशोधन,कार्यक्रम स्थगन व निरस्त करने का अधिकार अकादमी को रहेगा।